POLITICAL SCIENCE Dep.
B.A-Part-2 (Hons.) Paper4

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur
Samastipur

संविधान एवं संविधानवाद

राजनीतिविज्ञान में संविधान का तात्पर्य राज्य एवं शासन के ढाँचे एवं संगठन से होता है। संविधान ऐसे दस्तावेजों का समूह है जिसमें यह निर्धारित होता है कि राज्य का स्वरूप क्या होगा, किन सिद्धांतों के आधार पर राज्य कार्य करेगा।

डायसी के अनुसार "संविधान उन कानूनों के समूह को कहते हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करते हैं।"

गेटल के अनुसार "वे मौलिक सिद्धांत जिनके द्वारा किसी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है संविधान कहलाता है।"

ऑस्टिन के अनुसार "संविधान वह है जो सर्वोच्च शासन की रचना को निर्धारित करता है।

इस प्रकार संविधान वे नियम हैं जिसके द्वारा सरकार के विविध अंगों का स्वरूप एवं गठन, उनकी शक्ति और सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक सम्बन्ध निश्चित किया जाता है।

Scanned with CamScanner

संविधानवाद

संविधानवाद उन विचारों व सिद्धांतों की ओर संकेत करता है जिनके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जाता है। यह संविधान पर आधारित विचारधारा है जिसका मूल अर्थ है शासन संविधान में लिखित नियमों एवं विधियों के अनुसार संचालित होगा।

संविधानवाद संविधान के निर्णयों के अनुरूप शासन संचालन से अधिक है। इसका अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन। कोरी एवं अब्राहम के अनुसार "स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहा जाता है।" अतः संविधानवाद शासन की वह पद्धति है जिसमें शासन जनता की आस्थाओं, मूल्यों और आदर्शों को परिलक्षित करने वाले संविधान के नियमों और सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सर्वाधिकारवादी राज्यों में संविधानवाद नहीं होता जहाँ अपनी सुविधा के अनुसार संविधान को प्रायः बनाया और बिगाड़ा जाता है। लोकतांत्रिक देशों में संविधान के माध्यम से शासकों को प्रतिबन्धित और सीमित रखा जाता है जिससे राजनीतिक व्यवस्था की मूल आस्थाएं सुरक्षित रहें।

Dr. Huma Ara
Asst. Professor

Scanned with CamScanner